अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 33 / 2013

सुरेश प्रसाद

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढ़ौरा सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
28.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1682 दिनांक 11.05.2013 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति मढ़ौरा के द्वारा दिनांक 13.04.2013 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में सुरेश प्रसाद, ज०वि०प्र०वि०, ग्रा०पं०राज० आवारी, 92 / 07 की दूकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में पाई गई अनयमिताओं की वजह से विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम से 7EC के तहत मढ़ौरा थाना में कांड संख्या–91 / 13 दिनांक 13.04.2013 दर्ज कराया गया, जिसके पश्चात् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 18 दिनांक 17.04.2013 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1682 दिनांक 11.05.2013 के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। आवेदक सुरेश प्रसाद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं०–6706 / 15 दायर किया गया, जिसमें 26.06.2015 को आदेश पारित किया गया कि जिला दण्डाधिकारी, सारण मामले की सुनवाइ कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.07.2015 को आवेदक एवं उनके विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में सुनवाई की गई एवं सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया गया कि चूकि विक्रेता के विरूद्ध मढ़ौरा थाना में दर्ज प्राथमिकी सं०–91 / 13 का माननीय व्यवहार न्यायालय, छपरा के द्वारा अंतिम रूप से निष्पादन नही किया गया है, इसलिए इस	

मोड़ पर विकेता को किसी प्रकार की राहत प्रदान करना विधि सम्मत नही होगा। अतः विकेता को निर्देश दिया गया कि उक्त थाना कांड संख्या से संबंधित विचारण वाद में अंतिम आदेश पारित किए जाने के पश्चात आदेश के सच्ची प्रतिलिपि के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाए, ताकि यथोचित आदेश पारित कार्रवाई की जा सके।

आज दिनांक 28.01.2016 को विकेता की हाजिरी प्राप्त हुई। विकेता के द्वारा मढ़ौरा थाना कांड सं0–91/13 से संबंधित विचारण वाद सं0–2217/16 में विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2016 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई। सुनवाई की गई। विकेता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि चूकि उक्त मामले में विकेता को दोष मुक्त कर दिया गया है, अतः उसकी रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि चूकि विकेता से संबंधित विचारण वाद में माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए उनकी रद्द अनुज्ञप्ति को पुन–र्जीवित किया जाना विधिसम्मत होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मढ़ौरा थाना कांड सं0–91/13 से संबंधित विचारण वाद सं0–2217/16 में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2016 से विकेता को दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1682 दिनांक 11.05.2013) का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 10.06.2013 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

28/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

28/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 735 / दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।
15/1/16